राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प. 13 (1) राज-6/ 2004 /11 जयपुर दिनांक 15-7-04

समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।

समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।

परिपत्र

विषय:- औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित राजकीय भूमियों के स्थानान्तरण के संबंध में ।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित राजकीय भूमियों का विक्रय/ नीलामी/ पट्टा /उपपट्टा की कार्यवाही बिना राज्य सरकार की अनुज्ञा के होती है जबकि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि लीज की शर्तों के अधीन 99 वर्ष की लीज पर दी जाती है तथा लीज डीड की शर्तें के अनुसार बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के भूमि का विक्रय/ नीलामी/ पट्टा / उप पट्टा नही की जा सकती है ।

अत: आपके जिले में बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के भूमि का कोई विक्रय/ नीलामी/ पट्टा/ उप पट्टा आदि की कार्यवाही हुई है या वर्तमान में विचाराधीन हो तो ऐसे प्रकरण राज्य सरकार को तुरंत भिजवावें । क्योंकि ऐसी कार्यवाही बिना राज्य सरकार की अनुमति के शून्य/ प्रभावहीन मानी जायेगी तथा राज्य सरकार नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

शासन उप सचिव